an>

Title: Regarding new evidence which has come to light in respect of release of Masrat Alam, separatist leader from Jammu and Kashmir.

माननीय अध्यक्ष: अब हम ज़ीरो ऑवर लेते हैं।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण और गम्भीर मामला सदन में उठाना चाहता हूं। पिछले कई दिनों से इस सदन में, जब मसरत आलम को रिहा किया गया था जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा, चर्चा हो रही थी। कल रात कई टी.वी. न्यूज़ चैनल्स पर, न्यूज़ ऑवर पर और अलग-अलग चैनल्स पर यह अच्छी तरह से प्रकाशित किया जा रहा था कि दो चिट्ठियां मिली हैं। पहली चिट्ठी गृह सचिव द्वारा जिलाधीश को 4 फरवरी, 2015 को लिखी गई थी। जिस चिट्ठी में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि जो वर्तमान डिटेंशन ऑर्डर है, वह कानून की नज़र में नॉन-एग्ज़ट हो चुका है। अगर सरकार चाहती है तो दोबारा एक डिटेंशन ऑर्डर इश्यु किया जाना चाहिए, विधेयक के प्रोसीजर के तहत ताकि इस व्यक्ति को दोबारा डिटेन किया जाए। उसी के साथ 7 मार्च का ऑर्डर है जो जिलाधीश ने एसपी को लिखा है कि मसरत आलम को रिहा किया जाए और गृह मंत्रालय को बताया जाए। उस समय, जिस समय ये चिट्ठियां लिखी गयी थीं, जम्मू-कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन चल रहा था। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन चलता है तो फिर केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी और भूमिका रहती है, उस राज्य में शासन चलाने की। 4 फरवरी से 1 मार्च तक राष्ट्रपति शासन जम्मू-कश्मीर राज्य में चल रहा था। अगर ये सरकार चाहती तो वह डिटेंशन ऑर्डर दोबारा इश्यु करती ताकि उस व्यक्ति को जेल में रखा जाए। इन दोनों चिट्ठियों के आधार पर तीन प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न है कि अगर आपको इस चिट्ठी की सूचना नहीं थी तो क्या यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि जब राष्ट्रपति शासन उस राज्य में चल रहा हो तो ऐसी चिट्ठी लिखी जाए, ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने देश विरोधी वक्तव्य दिया हो, तो आपने एक महीने तक नया डिटेंशन ऑर्डर क्यों इश्यु नहीं किया? अगर आपको इस चिट्ठी की सूचना थी तो फिर यह स्थापित हो जाता है कि क्या आपकी सरकार की मिलीभगत थी मसरत आलम को रिहा करने के लिए। आज हम चाहते हैं कि राजनाथ सिंह जी ने जो वक्तव्य दिया था, यह प्रश्न सदन में सभी सदस्यों के द्वारा जरूर उठता है कि क्या वह वक्तव्य इस सदन को गुमराह करने के लिए दिया गया था। आज उसका स्पष्टीकरण हम लोग चाहते हैं, क्योंकि अगर सरकार चाहती तो वह एक महीने के कार्यकाल में दोबारा से डिटेंशन ऑर्डर निकाल सकती थी और वह व्यक्ति रिहा नहीं होता।...(व्यवधान) मुझे समाप्त करने दीजिए। मसरत आलम जो आज रिहा हुआ है, वह भारत के विरुद्ध टिप्पणी कर रहा है। वह कह रहा है कि मैं छोटे जेल से बड़े जेल में पहुंच गया हूं। प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य दिया था और राष्ट्रहित के मामले में पूर्वचन दिया था।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जीरो ऑवर में इतना लम्बा भाषण नहीं देते हैं।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या यह आपका राष्ट्रहित है कि आपने उस एक महीने में डिटेंशन ऑर्डर इश्यु क्यों नहीं किया, इसका जवाब देश की जनता आज चाहती है। क्या आप इस चिट्ठी को इंकार करेंगे? हम उसका स्पष्टीकरण इस सदन में चाहते हैं, देश की जनता जानना चाहती है। हम देश को गुमराह नहीं कर सकते हैं। हम इस पर स्पष्टीकरण चाहते हैं कि आपने एक महीने में वह डिटेंशन ऑर्डर इश्यु क्यों नहीं किया, जब राष्ट्रपति शासन उस समय में लागू था। देश की जनता को जवाब चाहिए। हमें राष्ट्रहित के बारे में पूर्वचन नहीं चाहिए। हमें देश की एकता और अखंडता का पूर्वचन नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हर चीज पर सब को बोलने की जरूरत नहीं है।

श्री पी.वेणुगोपाल और

प्रो. सौगत राय अपने को उपरोक्त विषय से संबद्ध करते हैं।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : मैडम, हमें किसी से कोई आदेश और उपदेश नहीं चाहिए।...(व्यवधान) हमें किसी से उपदेश नहीं चाहिए। मेरा यह कहना है कि मामला गम्भीर है, इसको पॉलिटिक्लाइज़ नहीं करना चाहिए। गृह मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, वह सही है। उन्होंने कहा है कि मैं वहां से जानकारी लूंगा।...(व्यवधान) आप लोग मेरी बात सुनिए।...(व्यवधान) आपने जो बोलना था, वह बोल दिया है।...(व्यवधान) मैंने स्पीकर से बोलने की रिक्वैस्ट की है और मेरा कर्त्तव्य बनता है। मैंने आज जब टीवी पर देखा और पेपर में पढ़ा तो गृह मंत्री जी से इस बारे में बात की। आज गृह मंत्री जी राज्य सभा में हैं, आज उनका वहां काम है। राज्य सभा से फ्री हो गए तो आज, नहीं तो कल जरूर वक्तव्य देंगे। उस दिन उन्होंने वचन दिया था कि पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद वह सदन को अवगत कराएंगे। आज या कल इस संदर्भ में स्पष्टीकरण देंगे। किसी को गुमराह करने का सवाल ही नहीं है और देश की सुरक्षा से समझौता करने का कोई सवाल ही नहीं है। फैक्ट्स जब सामने आएंगे, तो कौन जिम्मेदार है, क्या बात है, तब हम जान पाएंगे। उसके बाद कोई व्याख्या करे तो अच्छा होगा। अदरवाइज़ पॉलिटिकल कॉमेंट करने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि देश को नुकसान ही होगा।...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदया, उस समय राष्ट्रपति शासन था, जिस समय यह चिट्ठी इश्यु हुई थी।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस तरह से नहीं होता है। आप लोग बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी ने बोला है कि गृह मंत्री जी आकर के वक्तव्य देंगे। टीवी पर रोज़ कोई चीज़ आएगी और आप रोज़ आकर पूछेंगे, यह सही नहीं है। आप लोग इस बात को समझिए।

उन्होंने कहा है कि बतायेंगे। This is not the way.

Dr. P. Venugopal and Prof. Saugata Roy may be allowed to associate with the matter raised by Shri Jyotiraditya Scindia.